कार्यालय कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

कमांक / 1914 / वृद्धाश्रम / सक / 2019, नारायणपुर दिनांक 8 / 03 / 2019

::रूचि की अभिव्यक्ति::

छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–2 / 2012 / सक / 26, दिनांक 02.03.2012 के परिपालन में जिला नारायणपुर में एक वृद्धाश्रम संचालन किया जाना हैं। निर्देश के परिपालन में जिला नारायणपुर में वृद्धाश्रम संचालन हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से **"रूचि की अभिव्यक्ति"** के तहत राज्य स्तरीय प्रस्ताव दिनांक 25 / 03 / 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। वृद्धाश्रम संचालित हेतु निम्नानुसार नियम शर्ते लागू होगी।

वृद्धाश्रम संचालन हेतु निम्नानुसार स्वैच्छिक संगठनों हेतु पात्रताः–

1) अशासकीय स्वैच्छिक संगठनों को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत होकर कम से कम 03 वर्ष से कार्यरत होना चाहिए या उसे तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अंतर्गत पंजीकृत लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) होना चाहिए या उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 525 के अधीन लाईसेंस शुदा एक चेरिटेबल कम्पनी होना चाहिए।
2) अशासकीय स्वैच्छिक संगठन में एक विधिवत गठित प्रबंधकारिणी होगी, जिसकी शक्तियां कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा लिखित संविधान में दिये अनुसार होंगे, इसका एक सम्यक प्रशासनिक ढांचा होगा।
3) अशासकीय स्वैच्छिक संगठन को छ.ग.शासन समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाएंः–

वृद्धाश्रम का संचालन

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल मनोरंजनात्मक सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना।

कियान्वयन का अभिकरणः–

समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठन अथवा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाएं / नगरीय निकाय के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा।

वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाएं:–

1) अन्तःवासियों को चाय– नाश्ता भोजन, वस्त्र चिकित्सा, दवाईया, तेल साबुन आदि प्रदान किये जायेंगे।

2) मनोरंजन, खेल, पत्र–पत्रिकाएं टेलीविजन आदि सुविधाएं होगी।

3) सांस्कृतिक, कार्यक्रमों का ओजन।

4) प्रत्येक अंतःवासी के लिए पृथक–पृथक बिस्तर पलंग, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था होगी।

5) वृद्धाश्रम भवन परिसर में बगीचा होगा।

6) वृद्धाश्रम में पुरूष एंव महिला अन्तःवासियों के लिए पृथक बाधारहित टायलेट होंगे।

7) वृद्धाश्रम में अन्तःवासियों नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

8) भवन में पर्याप्त रोशनी, शीतल जल, एवं बैठने के लिए आरामदायक फर्नीचर होंगे।

9) वृद्धाश्रम में संस्था द्वारा कलेक्टर अथवा संबंधित जिले के संयुक्त/उप–संचालक, समाज कल्याण की अनुशंसा से हितग्राही को प्रवेश दिया जावेगा तथा हितग्राही का बायोडाटा रखा जावेगा।

10) अन्तःवासी की मृत्यु पर उनके धर्म के अनुसार अन्त्येष्ठी की जा सकेगी बर्शते उनके परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर शव प्राप्त हेतु उपस्थित नहीं होते।

वृद्धाश्रम संचालन हेतु मानदण्ड (25 हितग्राहियों के लिए)

क	मद का क नाम	प्रतिमाह	राशि रू. प्रतिवर्ष
01	02	03	04
(अ)	आवर्ती व्यय		
1.	कर्मचारियों का मानदेय		
	प्रबंधक/अधीक्षक	500	60,000
	सामाजिक कार्यकर्ता/काउन्सलर	4000	48,000
	नर्स		
	नर्स	4000	48,000
	रसोईया	3500	42,000
	रसोईया का सहायक	3000	36,000
	स्वीपर	3000	36,000
	भृत्य सह चौकीदार	3000	36,000
2.	भवन (किराया एव रखरखाव)	10,000	
			1,20,000

08/3/19

3.	स्वास्थ्य		
	भोजन, वस्त्र आदि / 600 / –	15,000	1,80,000
	(प्रतिहितग्राही प्रतिमाह) चिकित्सक		
	अशकालिक (प्रतिविजिट 500 / –	2000	24000
	न्यूनतम 04 विजिटि प्रतिमाह)		
	दवाईयां		
	तेल, साबुन सेविंग आदि / 80 / –	2000	24000
	प्रति हितग्राही प्रतिमाह	2000	24000
4.	मनोरंजन (किताब, पत्रिकाएं,	2500	30000
	समाचार–पत्र भ्रमण धार्मिक		
	सांस्कृतिक आयोजन कैरम ताश,		
	शतरंज जैसे खेल इत्यादि		
5.	अन्य व्यय (विधुत, जल, टेलीफोन	2000	24000
	आदि)		
	योग आवर्ती व्यय		7,32,000
(ब)	अनावर्ती व्यय		
	पलंग,बिस्तर, बर्तन, टेलीविजन,	–	1,50,000
	खेल, सामग्री आदि		
	महायोग अ+ब		8,82,000

नोटः– 25 अन्तःवासियों से अधिक होने पर हितग्राही के मान से दिये जाने वाले मदों में अतिरिक्त राशि दी जा सकेगी। महिलाओं के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था की जावेगी।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रकियाः–

1. संस्था को न्यूनतम 03 वर्षो से वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो विशेष परिस्थतियों में यह संचालक के अनुमोदन से शीथिलनीय होगा।

2. विभागीय अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा से संचालक समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जायेंगे जिनका अनुदान नियम अनुसार, परीक्षण तथा विश्लेषण कर वित्तीय अधिकार पुस्तिका में दिये गये निदेश अनुरूप संचालक, समाज कल्याण छ.ग. अनुदान स्वीकृत कर सकेगा।
3. प्रदत्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से महालेखाकार छ.ग. एवं संचालक समाज कल्याण रायपुर (छ.ग.) को उपलब्ध कराना होगा।
4. स्वैच्छिक संस्थाओं को आवर्ती व्यय 90 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय 70 प्रतिशत स्वीकृत किया जा सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं /नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।
5. समय – समय पर शासन से प्राप्त नियम निर्देशों का पालन होगा।

08/3/19
कलेक्टर
जिला नारायणपुर

पृ.क्रमांक / / वृद्धाश्रम / सक / 2019, नारायणपुर दिनांक 8 / 03 / 2019

प्रतिलिपि:– 1914 A

1. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ कृपया राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in. में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् नारायणपुर को आवश्यक कार्यवही हेतु सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ओरछा/ जनपद पंचायत नारायणपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

08/3/19
कलेक्टर
जिला नारायणपुर